संख्या- 03 /2021/1814/24-1-20-2249/2010

प्रेषक:

मणीन्द्र शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 04 जनवरी, 2021**

विषय:-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1784/अधि0नि0(वित्त)/निधि-।।/आर(डिस्ट)/04-05/97/2004, दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण के पुनर्भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में ऊर्जा विभाग के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्ष 6003-109-03-30 के **भारित मद में** प्राविधानित धनराशि रूपये 65,73,83,000/- (रूपये पैंसठ करोड़ तिहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 40,28,91,257/- (रूपये चालिस करोड़ अठ्ठाईस लाख इक्यांनवे हजार दो सौ सत्तावन मात्र) में से धनराशि रूपये 22,78,73,962/- (रूपये बाईस करोड़ अठहत्तर लाख तिहत्तर हजार नौ सौ बासठ मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42 जी/ शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण- 109-अन्य संस्थाओं से कर्ज-03- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर0ई0सी0 से प्राप्त ऋण का प्रतिदान-30-निवेश/ऋण" भारित मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-10- 288 /दस-2020, दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या- 03 /2021/1814(1)/24-1-20, तददिनांक</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, कोर-4, स्कोप काम्प्लेक्स-7- लोधी रोड़, नई दिल्ली - 110003।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय - नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

मणीन्द्र शर्मा
संयुक्त सचिव।

http://srasanadesh.up.nic.in